

महात्मा फुले की स्मृति में स्मारक डाक टिकट

2197. श्री केशवराव षोंडवे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक महात्माय ज्योतिराव फुले का स्मारक डाक टिकट जारी करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिबन्धना है ?

(ग) ऐसे डाक टिकट जारी करने में सरकार के मसख अत्र तक क्या कठिनाइयाँ आई हैं; और

(घ) अब इस डाक टिकट को कब तक जारी किया जायेगा और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हाँ ।

(ख) डाक-तार विभाग ने महात्मा ज्योतिराव फुले के सम्मान में 28 नवम्बर, 1977 को एक स्मारक डाक टिकट जारी कर दिया है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक-तार विभाग में पदोन्नतियाँ

2198. श्री राम बिलास पासवान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संचार विभाग में 1970 से विभिन्न श्रेणी के पदों पर कितने कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है और इन श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : बाँच्छित सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना के प्राप्त होते ही, इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Legislation to safeguard interest of workers

2199. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state whether he proposes to bring forward certain legislation to safeguard the interests of the workers and their dependents when a bread earner meets with an accident?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): The Workmen's Compensation Act, 1923 provides for payment of compensation to workmen in case of temporary/permanent disablement and to their families in case of death caused due to industrial accident or certain occupational diseases arising out of and in the course of employment. The E.S.I. Act provide for payment of cash benefits in case of sickness, employment injury, etc. and pension for dependents on the death of workers due to employment injury or certain occupational diseases. Suitable amendments to these Acts are made wherever necessary.

Sanctioning of P.C.O. in Branch Post Offices

2200. SHRI GADADHAR SAHA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state terms, conditions, and circumstances under which the opening of/installation of Public Call Offices at branch Post Offices (Departmental/Ex. departmental) in rural areas in the States in India are sanctioned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): Public Call offices